कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर
जिला–सूरजपुर छ0ग0

E-Mail ID : cmhosurajpur@gmail.com Phone : 07775-266145

क्र0 / 8671 / स्था0 / 2021 सूरजपुर, दिनांक – 12 / 07 / 2021

–ःसूचनाः–

विषय– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें , छ0ग अंतर्गत सूरजपुर जिले में प्रशिक्षित मितानिनों से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" / बहुउद्देशीय कार्यकता महिला के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनतिंम वरियता सूची एवं दास्तावेज परीक्षण की सूचना।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 रायपुर द्वारा विज्ञापन क्रमांक / स्थापना नर्सिंग / 170 / 2021 / 229 नवा रायपुर दिनांक 09.03.2021 के तहत प्रशिक्षित मितानिनों के लियें आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पद पूर्ती किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास पात्र अभ्यार्थीयों से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक कार्यालयीन समय शाम 5:00 बजे तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ0ग0 शासन के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पत्र आमंत्रित किये गये थे।

तत्पश्चात संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 के पत्र क्रमांक / 03 / नर्सिंग स्था0 / 170 / 2021 / 498 (ए) अटल नगर, दिनांक 17.06.2021 के तहत दिनांक –27 जून 2021 (रविवार) को परीक्षा आयोजित किया गया। परीक्षा उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची एवं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम वरियता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर एवं जिले के वेबसाईट www.surajpur.gov.in कराई गयी है।

मेरिट सूची में उल्लेखित समस्त अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर जिला सूरजपुर में दिनांक 16.07.2021 को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 05 बजे तक आयोजित किया गया है। जिसमें अभ्यार्थी अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगें ।

1. कोविड–19 संक्रमण को देखते हुये अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय–सीमा निर्धारित की गई है, अतः समस्त अभ्यर्थी निर्धारित समय–सीमा का पालन करें एवं नियमानुसार अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर दो गज की दूरी एवं हेंड सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुयें निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से उपस्थि होवें।
2. अभ्यर्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (10वी, 12वी के अंकसूची, ए0एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण के अंकसूची, छ.ग. पैरामेंडिकल कौसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव (मितानिन के रूप में 5 वर्ष का अबाधित (निरंतर) रूप से कार्यरत होने के संबंध में केवल राज्य स्वास्थ्य एवं संसाधन केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र) / अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र, पहचान पत्र)की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लावें साथ ही उक्त सभी प्रमाण पत्रों के 02 स्व. प्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति को निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेंगें:–
   1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र।
   2. हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र।
   3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रणाण पत्र (ए0एन0एम0)।
   4. छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
   5. समक्ष अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र।
   6. वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अपवि) हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

7. मितानिन के रूप में 5 वर्ष का अबाधित (निरंतर)रूप से कार्यरत होनें के संबंध में केवल राज्य स्वास्थ्य एवं संसाधन केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
8. सेवारत होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9. दिव्यांग प्रमाण पत्र।
10. भूतपुर्व सैनिक होने की दशा में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न ।
11. शपथ पत्र (विज्ञापन के कंडिका क्र. 13 अनुसार–किसी अभ्यथी को शासकीय सेवायें से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नही होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।
12. प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
13. यदि अन्य कोई दस्तावेज हो तों उल्लेख करें।

4. अभ्यर्थी को अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/अधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा।
5. कोविड–19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है जिसमें अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकता है अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लियें लिखित रूप से अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र में प्रतिनिधि के हस्तक्षार प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित होने के कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र के एवं अपना तथा अभ्यर्थी का परिचय पत्र की मूल प्रति एवं अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अधिकार पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी द्वारा जारी लिखित अधिकार पर नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नही किया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा ।
7. यदि अभ्यर्थी द्वारा समय–सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।
8. दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाईन किये गये आवेदन की प्रति 02 सेट जमा करना अनिवार्य है।
9. ऑनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ही सत्यापन किया जावेगा। अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्वीकार और सत्यापन नही किया जावेगा।

अतः उपरोक्त दस्तावेत सत्यापन हेतु जारी मेरिट सूची में उल्लेखित सभी अभ्यर्थीयों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आमंत्रित अभ्यथियों की सूची निर्धारित तिथि एवं समय एवं विस्तृत जानकारी जिले के बेबसाईट www.surajpur.gov.in एवं विभागीय बेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखी जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–सूरजपुर छ0ग0